

प्ररूप 4-ख
[नियम 24 देखें]

[किसी स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में आमेलन होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्ररूप]

सं
भारत सरकार
..... मंत्रालय
..... विभाग/कार्यालय
तारीख.....

सेवा .

वेतन और लेखा अधिकारी/महालेखाकार
(आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी.....(पीआरएएन.....) के मामले में किसी स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में आमेलन होने पर या तकनीकी आधार पर त्यागपत्र देने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन फायदों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पदनाम) पीआरएएन..... किसी स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में आमेलित होने पर या तकनीकी आधार पर त्यागपत्र देने पर तारीख..... से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त माने जाते हैं। इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय से उनके कार्यमुक्त होने के आदेश की प्रति संलग्न है।

2 * चूंकि नए संगठन में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की योजना लागू है, अतः अभिदाता नए संगठन में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रखेगा। उसे ऐसे आमेलन के समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई हितलाभ नहीं मिलेगा, परंतु नए निकाय या संगठन आदि जहां पर अभिदाता को आमेलित किया गया है, से निकासी के पश्चात उसे फायदे प्राप्त होंगे।

या

* चूंकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना नए संगठन में लागू नहीं है, केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 15 के अनुसरण में वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभों को प्राप्त करने का पात्र होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत फायदों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दस्तावेज (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूपों के प्रिंटआउट) संलग्न हैं:

1.

2.

3.

4.

3. यह अनुरोध किया जाता है कि एनपीएस खाते को..... में अंतरित करने या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य सेवांत फायदों को जारी करने के लिए अभिदाता के मामले पर कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीय

कार्यालय अध्यक्ष

* लागू नहीं होने पर काट दें।

FORM 4-B

[See rule 24]

[Form of letter to the Accounts Officer forwarding the withdrawal papers of a Subscriber under the National Pension System on absorption in an autonomous body or Public Sector Undertaking]

No

Government of India

Ministry / Department/Office of

Dated the

To

The Pay and Accounts Officer/Accountant-General

(Through - the Drawing and Disbursing Officer).

Sub: Processing of claim for benefits under the National Pension System on absorption in an autonomous body or Public Sector Undertaking or resigned on technical ground - case of Shri /Smt. /Km..... (PRAN

Sir,

I am directed to say that Shri/Smt./Km.....(name and designation), PRAN....., of this Ministry or Department or office is deemed to have retired from Government service w.e.f. on absorption in, an autonomous body or Public sector undertaking or resigned on technical ground. A copy of order of his relieving from this Ministry or Department or office is enclosed.

2 * Since the scheme of the National Pension System exists in the new organisation, the Subscriber shall continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number in the new organisation. He shall not receive any benefit under the National Pension System at the time of such absorption but shall receive benefits after exit from the new body or organisation, etc. where Subscriber has been absorbed.

OR

* Since the scheme of the National Pension System does not exist in the new organisation, in accordance with rule 15 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, he or she shall be eligible to receive benefits under National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of Subscriber on superannuation. The following documents (in physical form or print-out of forms submitted online) prescribed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority for release of terminal benefits under the National Pension System are enclosed:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

3. It is requested that the case of the Subscriber may be processed for transfer of the NPS Account toor release of terminal benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of Subscriber on superannuation.

.

Yours faithfully,

Head of Office

* Strike out if not applicable.